ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 236-238**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

आधुनिक परिवेश में शिक्षित महिलाओं की परिस्थिति का परम्परा एवं परिवर्तन के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक अध्ययन : मुजफ्फरपुर नगर के संदर्भ में

डॉ० साजिया परवीण

सहायक प्राध्यापक (अतिथि)–मनोविज्ञान विभाग, डॉ0 एल0 के0 भी0 डी0 कॉलेज, ताजपुर, समस्तीपुर (ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा) (बिहार) भारत

Received-21.12.2024, Revised-27.12.2024, Accepted-30.12.202 **E-mail : drshaziaperween@gmail.com**

सारांशः ***स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पचास के दशक में विकास की प्राथमिकता में आर्थिक प्रगति को सर्वोच्च महत्व दिया गया। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने और कृषि उत्पादन में तेजी लाने के प्रयास किए गए। लेकिन शीघ्र ही यह महसूस किया जाने लगा कि आर्थिक सुधार के साथ–साथ स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा इत्यादि सामाजिक क्षेत्रों में सुधार आवश्यक है। फलतः समाज कल्याण के कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। महिलाओं को सिलाई, क्राफ्ट, घरेलू कार्यों की शिक्षा दी गई। लेकिन जिन महिलाओं को रोजी–रोटी कमाने की चिन्ता थी, उन्हें इन कार्यक्रमों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। साठ के दशक में विकास प्रक्रिया में 'एकीकरण' का महत्व जाना गया। इस चरण में यह मान्यता रही थी कि विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से नीचे तबके तक छन कर आयेगी और इस प्रकार गरीब जनता को भी विकास का लाभ मिलेगा। परन्तु वास्तविक अनुभव ऐसा नहीं रहा। सत्तर के दशक में यह वैचारिक परिवर्तन आया कि जब समाज के निचले हिस्से के लोग व महिलाएँ लाभान्वित होंगी तभी ठोस और स्थायी विकास संभव होगा। महिलाओं की स्थिति का आंकलन "कमेटी आन स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया" द्वारा 1975 में प्रस्तुत अपनी रिर्पोट में किया। इसमें कहा गया कि महिलाओं की समस्याएँ सुलझाने के लिए संगठित प्रयास की आवश्यकता है। सातवें दशक में वैयक्तिक और सामूहिक स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की समस्याओं, शोषण व अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई।***

कुंजीभूत शब्द– विकास की प्राथमिकता, आर्थिक प्रगति, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, महिलाओं की परिस्थिति, सिलाई, क्राफ्ट

देश के इतिहास में विभिन्न कालों में महिलाओं की दशा उठती और गिरती रही है। वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज लगभग हरेक क्षेत्र में महिलाएँ अपना परचम लहरा रही हैं तथा अपने आप को स्थापित करते हुए पुरूषों के समान कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आज महिलाएँ कई परम्पराओं को तोड़ा है तो कई नवीन परिस्थितियों को भी अपने में आत्मसात किया है।

भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिन्धु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में महिलाओं को आदरपूर्ण अधिकार प्राप्त था। उनके धार्मिक तथा सामाजिक अधिकार पुरूषों के ही समान थे। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरूष की अर्धांगिंनी बताया गया है। बशिष्ट का मानना है कि आचार्य का गौरव दस उपाध्यायों से बढ़कर होता है, पिता का गौरव सौ आचार्यों से बढ़कर होता है किन्तु माता का गौरव एक हजार पिताओं से भी बढ़कर होता है। महाभारत में यह स्पष्ट लिखा है कि स्त्रियाँ समृद्धि की देवी हैं। समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति को उनका सम्मान करना चाहिए। विधि ग्रंथकार मनु का मत है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं तथा जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहाँ सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार कालिदास कहते हैं कि गृहिणी, सम्मति देनेवाली सहचरी तथा एकान्त की सखा के रूप में होती है। इन सब मंतव्यो के बावजूद सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा पतन्नोमुख हो गई। कन्या का जन्म अभीष्ट नहीं था। स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। बशिष्ट ने उद्घोषणा की कि 'स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बचपन में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र उनकी रक्षा करते हैं। मनु तो यहाँ तक कह गये कि पति के दुराचारी तथा चरित्रहीन होने की दशा में भी पत्नी का कर्तव्य है कि वह देवता की तरह उसकी पूजा करें। स्त्रियों का उपनयन संस्कार बन्द कर दिया गया। विवाह को ही उपनयन मान लिया गया। स्त्री को शुद्र और मदिरा के समकक्ष मान लिया गया। स्त्री द्वारा जल स्पर्श अशुद्ध घोषित किया गया। उसका जूठा खाना और उसकी संगति को बुरा माना गया तथा स्त्री हत्या करने वाले को शुद्र हत्या का व्रत करने को कहा गया। ऐसा लगता है कि रोम में वर्ग विभाजित पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों और दासों को एक ही श्रेणी में रखा जाता था। उसी प्रकार भारत में स्त्रियों और शुद्रों को भी एक ही श्रेणी में रखा गया।

आजादी के बाद के दौर में समानता और लिंग न्याय में आशातीत वृद्धि हुई है। शहरी महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए जन जागृति प्रदर्शित की है। शासन भी भेद मूलक प्रथाओं के विरूद्ध आगे आने के लिए बाध्य हुआ है। महिला साक्षरता भी तेजी से बढ़ी हैं। स्त्रियों का सभी व्यवसायों में प्रवेश स्वीकार हुआ है। लैगिग मुद्दे तेजी से उभर रहे है। वर्तमान भारत की महिलायें विविध भूमिकायें–घर, कार्यालय, राजनीति आदि में निभा रही है, वे पुनः संघर्षरत है। वे राजनीति क्षेत्र में भी धीरे–धीरे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिकाओं को नये सिरे से परिभाषित कर रही है। वे धीरे–धीरे सभी रिवाजों और धारणओं को नाकार रही है। जो लिंग भेद को प्रोत्साहित करती है। पुरूष प्रधान समाज में ईश्वर और धर्म रूपी अपने आखरी दाव का प्रयोग कर लिया है। अतः महिलाओं को साहस पूर्वक धर्म और ईश्वर के विरूद्ध भी उठ खड़ा होना होगा जो उनकी राह में बाधा है।

1985 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने इस बात पर सहमति जताई की सन् 2000 तक समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण समान भागीदारी में बाधाओं को दूर करने हेतु सभी सरकारों को उचित एवं युक्ति संगत महिला नीतियॉ बनानी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया कि "चूँकि आर्थिक स्वतंत्रता आत्म निर्भरता की एक जरूरी शर्त है, अतः ऐसे प्रयास अंततः लाभदायक क्रिया कलापों तक महिलाओं की बढ़ती पहुँच पर केन्द्रित होनी चाहिए"। मेक्सिको शहर में 1975 में अपनाई गई "कार्य योजना" में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जोर दिया गयाः

- महिलायें एवं पुरूष समान मूल्य के काम के लिए समान पारिश्रमिक पायें।
- महिला मजदूरों की पेशागत गतिशीलता एवं काम की दशायें सुधारी जायें।
- कृषि एवं गैर–कृषि कार्यो में ग्रामीण महिलाओं के लाभप्रद रोजगार के समान अवसर एवं अधिकार हो।
- मातृत्व लाभ, बच्चों की सुविधाओं, तकनीकि प्रशिक्षण एवं स्वास्थय की सुरक्षा के प्रावधान के जरिए महिलाओं के पेशागत गतिशीलताओं को सुनिश्चित किया जाय।
- महिलाओं की पहुँच, प्रबंधन एवं निर्णय करने वाले पदों तक हो।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

- आर्थिक मंदी के दौरान रोजगार का बाजार महिलाओं के लिए कम उपलब्ध नहीं हो।

इसी प्रकार 1985 की नैरोबी रणनीतियों की अनुशंसाये निम्नलिखित हैं:–

- भोजन एवं पशु उत्पादन में ग्रामीण गरीब महिलाओं की उत्पादक क्षमता बढ़ाने हेतु बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम।
- खेती–बाड़ी से हटकर अन्य रोजगारों का सृजन।
- महिलाओं और उनके बच्चों के काम के बोझ को घटाना।
- ऊर्जा के सभी श्रोतों तक महिलाओं की पहुँच।
- उचित पानी, स्वास्थय, शिक्षा एवं परिवहन का प्रावधान।
- सुखा एवं रेगिस्तानीकरण से प्रभावित महिला ग्रामीण महिलाओं को सहायता।
- कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं संरक्षण तकनीकों में ग्रामीण महिलाओं का प्रशिक्षण।
- भोजन उत्पादन में महिलाओं की भूमिका के महत्व के प्रति कृषि प्रबंधक कर्मचारियों एवं तकनीकी कर्मचारियों का संवेदनीकरण।
- उत्पादन क्रियाओं के लिए ग्रामीण महिलाओं के पारस्परिक संगठनों का उपयोग एवं सुदृढ़िकरण।

आज समय की मॉग है कि नारी आंदोलन करने वाले लैगिंग भेदभाव के इतिहास और भूगोल को देखते हुए जोश और आक्रोश में आकर सभी पुरूषों को नारी शत्रु न मान बैठें। दरअसल सभी स्त्रियॉ स्त्रियों के सवाल को सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखती हैं। यह बहुत कुछ महिलाओं की समस्याओं की सही समझ, खुलापन एवं सहभागिता की मानसिकता पर निर्भर करता है। कभी–कभार विशाल आयोजन करने से महिलाओं की मूलभूत समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। इसके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों, प्रशासकों, राजनैतिक दलों, महिला संगठनों, बुद्धिजीवियों, लेखिका यानि समाज के विभिन्न तबकों द्वारा निम्नलिखित मूर्त कदम उठाने होगें :–

- महिलाओं को औपचारिक या कानूनी समानता के साथ–साथ वास्तविक समानता के समुचित अवसर देने होगें।
- पितृसत्तात्मक व्यवस्था एवं पुरूषवादी सोच को जड़ से खत्म करना होगा, न कि आम तौर पर पुरूष–विरोध; विरोध मात्र के लिए करना।
- महिलाओं को उत्पादन के साधनों में भागीदार बनाना होगा।
- बाजारवाद के आतंक और उपभोक्तावाद के प्रलोभनों से महिलाओं को मुक्त करना होगा।
- संचार माध्यमों से सांस्कृतिक प्रदूषणों एवं अश्लीलता को रोकने की कार्यवाही करनी होगी।
- फिल्मों के जरिए स्त्रियों की कमजोर, गॅवारू या चरित्रहीन छवि बदलनी होगी।
- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें संपूर्णता में देखना होगा और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शासन–प्रशासन में भागीदारी सक्रिय रूप से सुनिश्चित करनी होगी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आज शिक्षित महिलायें अपने अधिकार के प्रति सचेत हैं तथा उनमें जागरूकता भी बहुत अधिक है। वे हर बात को समझने में महत्ती भूमिका अदा कर रही हैं। वैश्विक स्तर पर महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को समझाया गया है। महिलाओं में जैसे शिक्षा बढ़ेगी, उर्वरता, जनसंख्या, विकास, शिशु मृत्युदर में गिरावट और परिवार के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिक्षित महिला ज्यादा राजनैतिक तत्पर और अपने संवैधानिक हक के बारे में सजग रहती है और उसको पाने हेतु कार्यरत भी रहती है। सरकार ने मई 2009 में शैक्षणिक अवसरों को समान रूप से प्रदान करने एवं महिला सशक्तिकरण हेतु कुंजी कार्यक्रम घोषित की। सरकार ने स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला शिक्षा पर जोर दिया। सरकार ने महिला शिक्षा पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया है इससे अन्य सभी सामाजिक विकास कार्यक्रम की धारणीय विकास हेतु गति निर्धारित करना है। जबकि महिला शिक्षा का तंत्रीकरण में महत्व है। सूक्ष्म स्तर पर महिलाओं की शिक्षा में बाधाओं को संबोधित करने के लिए समग्र प्रयास है जिसे लोचशील, विकेन्द्रीकरण, प्रक्रियाओं तथा निर्णय लेने के माध्यम से किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र एवं अध्यन पद्धति : प्रस्तुत अध्ययन बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला के नगरीय क्षेत्र के संदर्भ में है। इसमें 100 उत्तरदाताओं का चुनाव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति से किया गया है तथा स्वनिर्मित शोध अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार प्रविधि द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं की प्रस्थिति में क्या परिवर्तन हुए हैं।

तथ्य विश्लेषण : अध्ययन क्षेत्र से चयनित किये गये उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण इस प्रकार है

तालिका संख्या – 1

क्या महिलाओं ने परम्परात्मक जीवनशैली से हटकर एक नया जीवनशैली को अपनाया है ? हॉं/नहीं

उत्तरदाता		हॉं		नहीं	
कुल सं०	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
100	100	62	62	38	38

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पूछे गये प्रश्न क्या महिलाओं ने परम्परात्मक जीवन शैली से हटकर एक नयी जीवनशैली को अपनाया है आपको जानकारी है। तो सभी उत्तरदाताओं के 62 प्रतिशत लोगों ने इसके समर्थन में जबकि 38 प्रतिशत ने अपना जबाव इसके विपक्ष में दिया है।

तालिका संख्या – 2

क्या आपको मायके वाले ससुराल वालों की वनिस्पत अधिक सहयोग करते हैं ? हॉं/नहीं

उत्तरदाता		हॉं		नहीं	
कुल सं०	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
100	100	60	60	40	40

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पूछे गये प्रश्न क्या आपको मायके वाले ससुराल वालों की वनिस्पत अधिक सहयोग करते हैं तो सभी उत्तरदाताओं के 60 प्रतिशत लोगों ने इसके समर्थन में जबकि 40 प्रतिशत ने अपना जबाव इसके विपक्ष में दिया है।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

तालिका संख्या – 3

क्या आपको लगता है कि परिवार में महिलायें अभिभावक की भूमिका में हैं ? हाँ/नहीं

उत्तरदाता		हाँ		नहीं	
कुल सं०	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
100	100	84	84	16	16

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पूछे गये प्रश्न क्या आपको लगता है कि परिवार में महिलायें अभिभावक की भूमिका में है तो सभी उत्तरदाताओं के 64 प्रतिशत लोगों ने इसके समर्थन में जबकि 36 प्रतिशत ने अपना जबाव इसके विपक्ष में दिया है।

तालिका संख्या – 4

क्या आपको लगता है कि आधुनिक समय में महिलाएँ स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हैं ? हाँ/नहीं

उत्तरदाता		हाँ		नहीं	
कुल सं०	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
100	100	62	62	38	38

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पूछे गये प्रश्न क्या आपको लगता है कि आधुनिक समय में महिलाएँ स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हैं तो सभी उत्तरदाताओं के 62 प्रतिशत लोगों ने इसके समर्थन में जबकि 38 प्रतिशत ने जबाव इसके विपक्ष में दिया है।

तालिका संख्या – 5

क्या आपको लगता है कि विवाह केवल एक सामाजिक समझौता बनता जा रहा है ? हाँ/नहीं

उत्तरदाता		हाँ		नहीं	
कुल सं०	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
100	100	76	76	24	24

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पूछे गये प्रश्न क्या आपको लगता है कि विवाह केवल एक सामाजिक समझौता बनता जा रहा है तो सभी उत्तरदाताओं के 76 प्रतिशत लोगों ने इसके समर्थन में जबकि 24 प्रतिशत ने अपना जबाव इसके विपक्ष में दिया है।

अंत में यह कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी मानवीय एवं सामाजिक विकास तबतक अपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण रहेगा, जबतक की महिलाओं के सर्वांगीण विकास को उसमें शामिल नहीं किया जायेगा, क्योंकि महिलाओं का अधिकार अंततः मानवाधिकार है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 395 धाराएँ एवं 9 अनुसूचियाँ है। भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओं में महिलाओं के लिए वैधिक तथा वास्तविक समानता तथा अन्य अधिकारों का समावेश किया गया है। शिक्षित महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं और साथ ही वैसी महिलायें जिनमें जागरूकता का अभाव है उन्हें भी जागरूक करने का कार्य कर रही हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आधुनिक परिवेश में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। खासकर शिक्षित महिलाओं में परिवर्तन और अधिक हुआ है। साथ ही हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि शिक्षित महिलायें आज परिवार में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आज परिवार का दायित्व उनके उपर चला गया है। संयुक्त परिवार के विघटन एवं एकल परिवार की स्थापना के परिणामस्वरूप उनकी स्थितियों में परिवर्तन हो गया है। महिलाओं की प्रस्थिति में काफी हद तक परिवर्तन हुआ है। साथ ही महिलायें आज जीवन के हरेक क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने का कार्य किया है। आज परिवार से लेकर समाज तक की जिम्मेवारी वे निभा रही हैं। शिक्षा में उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई है तथा घर से लेकर नौकरी करने व राजनीति तक में अपनी हिस्सेदारी निभा पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक परिवेश में महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन हुआ है खासकर शिक्षित महिलाओं के।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Development, Gender and Diaspora : Context of Globlization - Paramjeet S. Judge, S. L. Sharma, Satish K. Sharma, Gurpreet Bal. Rawat Publication, New Delhi & Jaipur, 2003
2. Tradition, Family and the State : The Politics of the Contemporary Women's Movement – Agnihotri I., and R. Palriwala, Oxford University Press. 2000.
3. Women and Family Law Reform in India – Parasher, Archana, Sage Publication, New Delhi. 2000.
4. भारतीय महिलाएँ : शोषण, उत्पीड़न एवं अधिकार, कमलेश कुमार गुप्ता, बुक इनक्लेव, जयपुर, 2009.
5. भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, डॉ० एम० एम० लवाणिया, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर 2000.
6. महिला सशक्तिकरण – कमलेश कुमार गुप्ता, बुक इन्कलेव, जैन भवन, जयपुर, 2001
7. महिला एवं बाल विकास के नूतन आयाम, प्रकाश नारायण नाटानी, माया प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, 2010
8. महिला विकास : एक परिदृश्य, स्वप्निल सारस्वत, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007.

*****